न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 145/2019

अनवान :

1. विकासकुमार पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजेशकुमार पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। **- वादीगण**

बनाम

1. श्योदत पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
2. बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. देवकरण पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. सुनेरी पुत्री श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. सिलोचना पुत्री श्यादेत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
6. प्रदीपकुमार पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. किरण पुत्री बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. प्रियंका पुत्री बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. जयप्रकाश पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
10. शारदा पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
11. सुनिता पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
12. सविता पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
13. आरएमजीबी शाखा जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ, जरिये शाखा प्रबन्धक जोगीवाला तहसील भादरा। **- प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र मील **: प्रतिवादी सं0 1 ता 12**

निर्णय दिनांक : 24-02-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 8 जे एस एल के वर्तमान खाता सं0 131/131 के मु0 नं0 53 किला नं0 3,13,18,23 की 1.012 हैक्टैयर भूमि प्रतिवादी श्योदत के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 4 जेएसएल के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सं0 161/179 के मु0नं0 52 किला नं0 15,16,25, मु0नं0 53 किला नं0 11, 12, 19 ता 24, मु0नं0 63 किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20 व 24, मु0नं0 64 किला नं0 5 व 6 कुल किता 30 की 7.590 हैक्टयर नहरी बारानी मय रास्ता की खातेदारी भी प्रतिवादी श्योदत के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के परदादा मामचन्द पि0मु0 श्यामाकोरी की खातेदारी हुआ करती थी । इस प्रकार वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का भी जन्म से हक एंव अधिकार निहित है। वादभूमि की बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था। वादभूमि जो प्रतिवादी श्योदत के नाम से दर्ज है, उसमे प्रतिवादी सं0 1 श्योदत, प्रतिवादी सं0 2 बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह, देवकरण, सुनेरी, सिलोचना, किरण, प्रियंका, शारदा, सुनीता व सविता ने अपना हक हिस्सा तर्क कर शून्य कर लिया था। उक्त पारिवारिक सैटलमेन्ट मे उक्त वादभूमि जो प्रतिवादी श्योदत के नाम से दर्ज है, वह वादी विकासकुमार एंव प्रतिवादी प्रदीपकुमार को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि वादी राजेशकुमार व प्रतिवादी जयप्रकाश को संयुक्त रूप से प्राप्त हो गई थी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के हिस्सा मे वादभूमि के अलावा अन्य भूमि जो चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140 व चक 6 एएमएस के खाता सं0 65 मे स्थित है वह आ गई थी तथा उक्त वादभूमि जो प्रतिवादी श्योदत के नाम से दर्ज है वह वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 6 व 9 की कब्जा काश्त मे चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड माल मे उक्त वादभूमि आज भी प्रतिवादी श्योदत के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 व 9 ता 12 ने इकबालदावे पेश किये प्रतिवादिया संख्या 8 ने वादपत्र की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 13 को वकील वादी ने तर्क किया है। जिस पर पत्रावली मे कोई तनकी बननी नही पाई गई।

साक्ष्य वादी में वादी राजेशकुमार के बयान करवाये गये एंव साक्ष्य दस्तावेजी में वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी चक 3 जेएसएल सम्वत 2071 ता 2074 व चक 3 जेएसएल की वादभूमि की जमाबन्दी सम्वत 2029 ता 2038 प्रदर्श 2, वादभूमि चक 4 जेएसएल की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 प्रदर्श 3 व चक 4 जेएसएल की जमाबन्दी सम्वत 2029 ता 2038 प्रदर्श 4 व जमाबन्दी चक 6 एएमएस सम्वत 2074 ता

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) नादरा

2077 प्रदर्श 5 व जमाबन्दी चक 4 जेएसएल सम्वत 2072 प्रदर्श 6 तथा सदस्य प्रमाणपत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरान्त बहस वकील वादीगण एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एंव अधिकार निहित है। वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसकी बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो चुका है तथा प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 को अन्य कृषि भूमि प्राप्त हो गई है तथा प्रतिवादी सं0 1, 4, 5, 7, 8, 10 ता 12 ने अपना हक हिस्सा तर्क कर शून्य कर लिया है जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी श्योदत के नाम से दर्ज है, वह वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 6 व 9 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई है तथा इसी अनुसार वादभूमि पर वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 6 व 9 की कब्जा काश्त चली आ रहीहै। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद पत्र मे वादीगण ने चक 3 जेएसएल व चक 4 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा श्योदत के नाम से दर्ज कृषि भूमि अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है।

हस्तगत वाद में वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 व सम्वत 2072 ता 2075 तथा सम्वत 2029 ता 2038 की प्रमाणित जमाबन्दी पेश की है, जिसमें वाद भूमि वादी के परदादामामचन्द पि0मु0 श्यामाकोरी के नाम दर्ज है जिसमें वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है। तथा सदस्य प्रमाण पत्र में श्योदत का कुर्सीनामा पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी श्योदत के वारिसान में वारिस दर्शाये है। तथा श्योदत एंव श्योदत के सभी वारिसान ने दावा मे हाजिर आकर वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये इकबाल दावे पेश किये है। प्रतिवादीगण सं0 6व 9 के अलावा सभी प्रतिवादीगण ने वादभूमि मे पारिवारिक सैटलमेन्ट मे अपना हक हिस्सा वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 6 व 9 के पक्ष मे तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य करने बाबत इकबाल दावा पेश किया है। जिसके आधार पर वादीगण वादभूमि को दादालाई होना एंव अपने दावा को साबित करने मे सफल रहे है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 जे एस एल के वर्तमान खाता सं0 131/131 के मु0नं0 53 किला नं0 8, 13, 18, 23 की 1.012 हैक्टयर व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 161/179 के मु0नं0 52 किला नं0 15, 16, 25 मु0नं0 53 किला नं0 11, 12, 19 ता 24, मु0नं0 63 किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20 व 24, मु0 नं0 64 किला नं0 5 व 6 कुल किता 30 की 7 590 हैक्टयर नहरी बारानी मय रास्ता की खातेदारी जो प्रतिवादी श्योदत के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमे प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व 7, 8 तथा 10 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 6 व 9 के पक्ष मे तर्क कर दिया है जिसके चलते उक्त वादभूमि मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 6 व 9 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व 7, 8 तथा 10 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 6 व 9 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 6 व 9 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर तथा वादभूमि मे प्रतिवादी श्योदत का नाम कलमजन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24-07-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 145/2019

अनवान :

1. विकासकुमार पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजेशकुमार पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। - वादीगण

बनाम

1. श्योदत पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
2. बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. देवकरण पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. सुनेरी पुत्री श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. सिलोचना पुत्री श्यादेत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
6. प्रदीपकुमार पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. किरण पुत्री बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. प्रियंका पुत्री बलवन्तसिंह उर्फ बलवानसिंह जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. जयप्रकाश पुत्र देवकरण. जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
10. शारदा पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
11. सुनिता पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
12. सविता पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
13. आरएमजीबी शाखा जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ, जरिये शाखा प्रबन्धक जोगीवाला तहसील भादरा। - प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 12 श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

जाता है तथा घोषणा कि जाती है कि वादभूमि रोही मौजा चक 3 जे एस एल के वर्तमान खाता सं0 131/131 के मु0नं0 53 किला नं0 8,13,18,23 की 1.012 हैक्टयर व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 161/179 के मु0नं0 52 किला नं0 15,16,25, मु0 नं0 53 किला नं0 11, 12, 19 ता 24, मु0नं0 63 किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20 व 24, मु0नं0 64 किला नं0 5 व 6 कुल किता 30 की 7.590 हैक्टयर नहरी बारानी मय रास्ता की खातेदारी जो प्रतिवादी श्योदत के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमे प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व 7, 8 तथा 10 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 6 व 9 के पक्ष मे तर्क कर दिया है जिसके चलते उक्त वादभूमि मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 6 व 9 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व 7, 8 तथा 10 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 6 व 9 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 6 व 9 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर तथा वादभूमि मे प्रतिवादी श्योदत का नाम कलमजन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.25 14:12:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: